(15)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 54/प्रा0पत्र/2019

1. मोत्या बाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 श्री गोपाल लाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम मारवाडो का झोपडा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी राज. वगैरह

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोराज आयु 50 वर्ष पिता खाना जाति मेघवाल निवासी मारवाडो का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
2. शोराम आयु 65 वर्ष पिता खाना जाति मेघवाल निवासी मारवाडो का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 7/10/2019

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख.सं. 228 रकबा 16 बिस्वा, ख.सं. 229 रकबा 10 बिस्वा, ख.सं. 909 रकबा 6 बिस्वा, ख.सं. 910 रकबा 7 बिस्वा, ख.सं. 912 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख.सं. 924 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.सं. 925 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख.सं. 937 रकबा 7 बिस्वा, ख.सं. 939 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख.सं. 943/2818 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख.सं. 947 रकबा 6 बिस्वा, ख.सं. 948/2817 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.सं. 951 रकबा 12 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम टोकडा पटवार हल्का टोकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 की खतोनी संख्या 615 में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ग्राम मारवाडो का झोपडा में निवास करते है और आबादी से भूमि सिवायचक ख.सं. 247 व 940 में होते हुये ख.सं. 939 की दक्षिणी सीमा पर होकर अपने सामलाती चाह पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ था और उक्त रास्ते से सभी सहखातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर आ जाकर काश्त करते थे तथा इसी रास्ते से भूमि की कृषि उपज तथा कृषि संसाधनों को लाते ले जाते थे लेकिन अप्रार्थीगण ने ख.सं. 939 की दक्षिण सीमा पर चाह. पर जाने हेतु बने हुये रास्ते को हांककर खेत में मिला लिया तथा ख.सं. 937 पाल को भी हांक दिया तथा सिवायचक ख.सं. 940 पर बने हुये रास्ते को भी

नष्ट कर दिया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा सामलाती कुये पर जाने हेतु बने पुराने रास्ते को नष्ट कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य का विरोध किया तो अप्रार्थीगण ने ख.सं. 940 व ख.सं0 939 की उत्तरी सीमा में होकर चाह पर आने जाने हेतु रास्ता निकालने का आश्वासन दे दिया। तब से प्रार्थी व अप्रार्थीगण ख.स. 939 की उत्तरी सीमा पर होकर व ख.सं. 940 की उत्तरी सीमा में होकर अपने सामलाती चाह पर आ जा रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि सामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रत्येक ख.सं. पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार है। भूमि का अभी तक सहखातेदारों के मध्य बंटवारा नही हुआ है और भूमि का बंटवारा नही होने से अप्रार्थीगण खाता सामलाती होने की आड में व प्रत्येक ख.सं. नम्बर में अपना हक व अधिकार होना बताकर आये दिन प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे में दखलन्दाजी करते है। जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे में दखलन्दाजी करने तथा सामलाती चाह के रास्ते पर आने जाने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण भूमि का बंटवारा करवाये बिना सामलाती खाते के ख.सं. नम्बरों पर स्वयं का हक व अधिकार जताते हुये सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर तार फेसिंग कर रहे है तथा सामलाती चाह केक रास्ते को भी तार फेंसिंग के अन्दर लेकर रास्ते पर आवाजाही बन्द करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को भूमि का बंटवारा करवाये बिना पर्टिकूलर ख.सं. पर तार फेसिंग करने व सीमेन्ट का पिल्लर गाडने का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन अप्रार्थीगण जबरन दादागिरी के बल पर कानून को हाथ में लेकर सामलाती खाते की भूमि पर पिल्लर गाडकर तार खेंचकर रास्ते को बंद कर रहे है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। कानूनन सामलाती खाते के प्रत्येक खसरा नम्बर के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का हक व अधिकार है अप्रार्थीगण को भूमि पर पिल्लर गाडने व तार फेसिंग करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण ने भूमि पर पत्थर के पिल्लर गाडना व तार खेंचना दिनांक 17.05.2019 को प्रारम्भ करने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से मना किया और भूमि का बंटवारा करवाकर बंटवारें में आने वाली भूमि पर ही तार फेसिंग करने का निवेदन किया तथा सामलाती चाह के रास्ते व सामलाती भूमि पर पिल्लर गाडने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि हम सामलाती भूमि व रास्ते पर सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर तार फेसिंग करेगे तथा चाह का रास्ता भी बंद करेगे तुम्हारी मरजी हो जो तुम करों हमारे आडे फिरोगे तो हाथ पेर तोड देगे इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने की धमकी दी है। प्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय में चलकर भूमि का बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक करवाकर तार फेसिंग करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण बंटवारा करवाने से भी इन्कार हो गये। और जबरन पिल्लर गाडकर तार फेसिंग करने की दिनांक 17.05.2019 को धमकी दी है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के प्रत्येक ख.सं. में से 1/2 हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक करवावे तथा सामलाती भूमि में से सामलाती चाह पर आने जाने हेतु रास्ता भी सुरक्षित रखवावे। तथा प्रार्थीगण के हिस्से व बंटवारे में आने वाली भूमि पर दखलन्दाजी नही करने चाह से सिंचाई करने में व रास्ते में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावें। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है भूमि का अभी बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थीगण भूमि का

बंटवारा करवाये बिना जबरन दादागिरी के बल पर पर्टिकूलर खसरा नम्बरों पर सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर तार फेसिंग कर रहे है तथा रास्ते पर भी तार फेसिंग कर रास्ते को बन्द रहे है तथा तार फेसिंग कर दिये जाने से सामलाती चाह का भी प्रार्थीगण उपयोग नही कर पायेगे तथा अपनी भूमि पर काश्त नही कर पायेगें। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। वाद के विचारण में काफी विलम्ब होने की संभावना है ऐसी स्थिति में दौराने वाद सामलाती भूमि के किसी भी खसरा नम्बर पर पिल्लर गाडकर तार फेसिंग नही करने, रास्ते पर तार फेसिंग नही करने व चाह व भूमियों की आवाजाही बंद नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक मे है तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही संभावित है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिये जाने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति नही हो रही है वरन अप्रार्थीगण द्वारा सामलाती भूमि पर पिल्लर गाडकर तार फेसिंग कर रास्ता व चाह का उपयोग तथा भूमि पर आवजाही बंद कर दी तो प्रार्थीगण अपनी भूमि पर नही जा आ पायेगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। न्यायहित में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख.सं. 228 रकबा 16 बिस्वा, ख.सं. 229 रकबा 10 बिस्वा, ख.सं. 909 रकबा 6 बिस्वा, ख.सं. 910 रकबा 7 बिस्वा, ख.सं. 912 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख.सं. 924 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.सं. 925 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख.सं. 937 रकबा 7 बिस्वा, ख.सं. 939 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख.सं. 943/2818 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख.सं. 947 रकबा 6 बिस्वा, ख.सं. 948/2817 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.सं. 951 रकबा 12 बिस्वा, कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम टोकडा में का बंटवारा करवाये बिना पर्टिकूलर खसरा नम्बरों पर सीमेन्ट के पिल्लर नही गाडने, तार फेसिंग नही करने तथा प्रार्थीगण की भूमि, रास्ते पर पिल्लर नही गाडने व सामलाती चाह के रास्ते को अवरूद्व नहीं करने तथा भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्यों में प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय में वाद पेश करना मात्र स्वीकार है, शेष तथ्य गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य मेटर ऑफ रिकॉर्ड है जो इस आदरणीय न्यायालय द्वारा अवलोकनीय है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में पक्षकारों का मारवाडा के झौपडा में निवास करना स्वीकार है तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि पर मौके पर पूर्वजों के जमाने से हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करना स्वीकार है, शेष चरण गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य कतई गलत है, अस्वीकार है। पक्षकारों का मौके पर अपने पूर्वजों के जमाने से बंटवारा हो चुका है।

अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर बाड़ फेन्सी लगा रखी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 गलत है, अस्वीकार है जैसा कि पूर्व में निवेदन किया है कि अपने पूर्वजों के जमाने से फेंगेली सेटलमेन्ट के तहत हुए बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण ने तो प्रार्थीगण एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों की जानकारी में अपने हिस्से में पूर्व में बाड फेन्सी कर रखी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 दूसरी बार लिखा है जो कतई गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुस्तहक नही है तथा दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्से पर पूर्व अनुसार खेती करने को स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में प्रार्थीगण का सहखातेदार होना स्वीकार है, अन्य तथ्य कतई गलत है, अस्वीकार है। उक्त भूमि का बंटवारा पूर्वजों के समय ही हो चुका है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1, 2 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्य कतई गलत होने से स्वीकार नही, अस्वीकार है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नही हो रही है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है तथा मौके पर पक्षकारान शान्तिपूर्वक अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी कतई गलत है, अस्वीकार है, खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

हमने वकील पक्षकारान की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि 13 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार है। भूमि पर दोनों पक्ष काश्त कर रहे है। इस पर आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 940, 247 से आ रहा है जो सिवायचक है। खसरा संख्या 939 सामलाती खाते का है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा है। खसरा नम्बर 943 व 939 के बीच होकर रास्ता खसरा नम्बर 938 पर आने–जाने का बना हुआ है। पहले खसरा नम्बर 939 के दक्षिण में रास्ता था उसकों बंद कर दिया है व खसरा नम्बर 939 के उत्तरी साईड में मौके पर रास्ता बना हुआ है। सामलाती चाह. सबका है। खसरा नम्बर 939 सामलाती खाते है जिसकी उत्तरी सीमा पर इन्होने पिल्लर गाडकर तारबंदी करने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकील अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों का खंडन करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र उसमें वर्णित तथ्यों एवं कानून के आधार पर चलता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्यायालय में आने वाले पक्षकार को स्वच्छ हाथों से आना चाहिये। इन्होने रास्ते का कोई सबूत पेश नही किया है। इनके दावे की चरण संख्या 2 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है और काश्त करते हुये आ रहे है। अगर उक्त सत्य कथन है तो उनकों यह बताना होगा कि इनका कब्जा किस भाग पर है। पहले इनकों अपना कब्जा प्रमाणित करना होगा उसके उपरान्त ही निषेधाज्ञा

का दावा लाया जा सकता है। इनके द्वारा सिवायचक भूमि के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाई है। अगर इनकों सिवायचक भूमि से अपने खाते की भूमि में रास्ता लेना है तो सुखाचार के आधार पर सिविल न्यायालय में जाकर राहत प्राप्त करनी चाहिये थी। अतः इनका प्रार्थना पत्र भारी से भारी से कोस्ट पर खारीज किया जावें।

अप्रार्थी वकील के उक्त तथ्यों का खंडन करते हुये वकील प्रार्थी ने कथन किया कि खसरा संख्या 939 पर उत्तरी दिशा में बने हुये रास्ते पर पिल्लर गाडकर रास्ता बंद नही करें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न विनिर्णय प्रस्तुत किये। RBJ (9)2002 Page 47, RRD 1982 Page 370, RRD 1993 Page 206, RRD 1994 (B) Page 147, RRD 1995 Page 277, RBJ 1995 (2) Page 475, RBJ 1999 (6) Page 414

माननीय न्यायालयों द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अस्थाई आदेश के तीन घटक होते है, जिनमें न्यायिक विवेक का युक्तियुक्त प्रयोग आवश्यक है। ये घटक निम्नानुसार है।

1. प्रथम दृष्टिया मामला :– प्रथम दृष्टिया मामला सद्भाव पूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है जिसका गुणावगुण व अन्वेक्षण के आधार पर विनिश्चिय किया जाता है। इसलिए इसे साबित करने का भार वादी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई जमाबंदी ग्राम टोकडा खाता संख्या 615 अनुसार भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। उक्त सामलाती भूमि में बिना बंटवारा कराये बिना यह निश्चित नही किया जा सकता कि किस पक्षकार की भूमि कहां है। उक्त तथ्य के अभाव में सहखातेदारी के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रकरण में वकली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे पूर्णतयाः चस्पा नही होती है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों के प्रत्येक अंश पर विचार करने के बाद न्यायालय प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है।
2. अपूर्णीय क्षति कारित होने की सम्भावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अस्थाई आदेश चाहा जाता है तो वादी को यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य सामग्री के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण के सामलाती खाते की है जिसके प्रत्येक अंश पर उसका हक व अधिकार है बिना विधिवत बंटवारा करवाये, यह तय नही किया जा सकता है कि भूमियों में रास्त विधमान है या बंटवारे में रखा जावेगा, तब तक अप्रार्थीगण को अपनी फसल की सुरक्षा करने से रोका जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी को पूर्व में हुये पारिवारिक बंटवारे अनुसार प्राप्त भूमि पर काश्त करने व फसल की सुरक्षा हेतु तारफेसिंग करने से कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना प्रार्थी को नही बनती है। अतः न्यायालय अधिवक्ता अप्रार्थी के तर्कों से सहमत है कि पूर्व में हुये बंटवारे अनुसार ही अप्रार्थी काबिज काश्त है व उनके द्वारा प्रार्थी के हिता में कोई दखलंन्दाजी नही की जा रही है।
3- सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश को मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष या व्यादेश से इन्कार करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा संतुलन का निर्णय लिया जा सकता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टिया मामला व अपूर्णनीय क्षति कारित होने की

संभावना प्रार्थीगण के पक्ष में नही बन रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली